ऑन लाईन नं. RCMS 2016/00156

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 66/2016

1. तारावंती पत्नी स्व. श्री चंदूराम पुत्री स्व. श्री रावताराम जाति जाट निवासी 17 एस.डी.एस. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्रकुमार पुत्र श्री रामलाल पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. कृष्णलाल पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान–जरिये तहसीलदार राजस्व, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्वा आदेश दिनांक 27.07.2015 द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जिनके द्वारा चक 17 एस.डी.एस. तहसील सादुलशहर के खाता संख्या नया 89 पुराना 70 पत्थर नम्बर 27/137 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 3 व 6 ता 10 कुल 8 बीघा भूमि का इंतकाल विरास्तन दर्ज किया गया को आपास्त करने बाबत।

उपस्थित :
1. श्री संजय वर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री सुरेश अरोड़ा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 4

::आदेश :: दिनांक :–17.09.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर द्वारा जो चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का इंतकाल दर्ज किया गया है उक्त आदेश विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार सादुलशहर के द्वारा दिनांक 27.07.2015 को चक 17 एसडीएस के खाता संख्या 89/70 के 0.675 हैक्टर रकबा प्रशासन गांव के संग अभियान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजेन्द्र कुमार के प्रार्थना पत्र पर इंतकाल दर्ज करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसके विरूद्व अपीलार्थिया की ओर से उसके पुत्र भीमसैन ने तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की परन्तु तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उक्त आपत्ति को नजर अंदाज करते हुये रेस्पोन्ट संख्या 1 के पक्ष में ऊपर वर्णित कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज कर दिया गया। उक्त आदेश बिना दस्तावेजों की जांच किये अपीलार्थी द्वारा पेश की गई आपत्ति को नजर अंदाज कर विधि विरूद्व रूप से आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीया की ओर से उसके पुत्र भीमसैन ने तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष ऊपर वर्णित भूमि का इंतकाल दर्ज नहीं करने की आपत्ति इस आधार पर पेश की कि ऊपर वर्णित भूमि अपीलार्थिया के पिता स्व. श्री रावताराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम के नाम चक 17 एसडीएस तहसील सादुलशहर के खाता संख्या नया 8 व पुराना 70 में 62 बीघा कृषि भूमि सन् 1953 में खरीद की गई थी। सन् 1962 में अपीलार्थिया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त कृषि भूमि का इन्तकाल 16.12.1962 को अपीलार्थिया की माता सुगना जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की दादी व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की माता थी जिसके द्वारा अपीलार्थिया व उसकी माता जानी के विरूद्व उपरोक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसकी अपील अपीलार्थिया व उसकी माता द्वारा आएए द्वितीय जयपुर कैम्प बीकानेर में की गई जो अपीलार्थिया की माता के पक्ष में अपील दिनांक 22.07.1975 को स्वीकार की जाकर अपीलार्थिया को रावताराम की सही वारिश माना गया। उक्त अपील के विरूद्व सुगनादेवी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 की दादी व 3 व 4 की माता द्वारा रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 136/74 पर दर्ज की गई। उक्त द्वितीय अपील के दौरान रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 की दादी व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की माता सुगना देवी ने एक प्रार्थना पत्र मय राजीनामा दिनांक 06.01.1976 को पेश किया गया जिसमें कथन किया गया कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 12.11.1975 को राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामे के अनुसार मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1,2,3,6,7,8,9,10 कुल 8.00 बीघा कृषि भूमि की हकदार सुगनी बेवा मोमनराम होगी तथा इसके अलावा शेष भूमि जो 17 एसडीएस तहसील सादुलशहर में जानी देवी के नाम है उसकी मालिक जानी देवी रहेगी। उक्त राजीनामे के आधार पर दिनांक 19.01.1976 को द्वितीय अपील का फैंसला कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 19.01.1976 की पालना में रेस्पोडेन्ट की दादी व माता सुगनीदेवी ने उपरोक्त मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 3 व 6 ता 10 कुल 8.00 बीघा भूमि का इंतकाल अपने नाम दिनांक 23.10.1977 को दर्ज करवाया गया। जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश दिनांक 19.01.1976 का हवाला दिया गया परन्तु राजस्व मण्डल द्वारा जो आदेश राजीनामें के आधार पर पारित किया गया था में मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 ता 3 व 6 ता 10 को सुगना देवी का हकदार बताया गया था जो सुगनादेवी ने छुपाते हये मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 3 व 6 ता 10 का इंद्राज अपने नाम करवा लिया जबकि राजीनामा मुरब्बा नम्बर 39 के सम्बन्ध में हुआ था। सुगनादेवी की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 व रामलाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता के द्वारा दिनांक 13.02.2014 को सुगनादेवी के नाम दर्ज कृषि भूमि जो मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 3 व 6 ता 10 को अपने नाम इंतकाल दर्ज करवा लिया। उक्त इन्तकाल भी पूर्व के अनुसार गलत जारी करवाया गया था। उक्त इन्तकाल जो दिनांक 13.02.2014 के माध्यम से कृष्णलाल, ओमप्रकाश व रामलाल के नाम इंतकाल जो दर्ज करवाया था को आधार मानते हुये रामलाल की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 27.07.2015 को विरास्तन के आधार पर इंतकाल तहसीलदार सादुलशहर के आदेश के माध्यम से करवा लिया जबकि सुगना देवी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में जिस मुरब्बा का हवाला दिया जाकर राजीनामें के आधार पर फैंसला करवाया था, तहसीलदार और पटवारी से मिलकर मुरब्बा नम्बर 39 के बजाये मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 01 ता 3 व 06 ता 10 का इंतकाल अपने नाम करवाया जो गलत रूप से जारी किया गया है। मुरब्बा नम्बर 31 के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई राजीनामा राजस्व मण्डल अजमेर में नहीं हुआ। रेस्पोडेन्ट द्वारा छल कपट कर मुरब्बा नम्बर 39 की बजाये मुरब्बा नम्बर 31 की 1 ता 3 तथा 6 ता 10 कुल 8 बीघा भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजेन्द्र कुमार के नाम इंतकाल दर्ज करवाया गया। उक्त इन्तकाल साजीशीपूर्वक तहसीलदार को गुमराह कर जारी करवाया गया । तहसीलदार सादुलशहर का आदेश दिनांक 27.07.2015 दस्तावेज के विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल दिनांक 16.12.1962 व इन्तकाल दिनांक 23.10.1972 तथा राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 19.01.1976 मय राजीनामा की प्रमाणित प्रति सलंग्न अपील है। तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 27.07.2015 बिना दस्तावेजों को जांच किये पारित किया गया इसलिए तहसीलदार सादुलशहर द्वारा दस्तावेजों के विरूद्व इंतकाल दर्ज करने का आदेश न केवल दोषपूर्ण है बल्कि विधि विरूद्व भी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 27.07.2015 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थिया व उसकी माता का नाम पुनः कृषि भूमि दर्ज की जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 27.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलार्थिया उक्त अपील पेश करने की अधिकारी नहीं है क्योंकि अपीलार्थिया उक्त आदेश में पक्षकार ही नहीं है। बिना पक्षकार के कोई भी पक्षकार अपील पेश नहीं कर सकता। तहसीलदार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 19.01.1976 की पालना में भरे गये इन्तकाल का आगे विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है इसलिए तहसीलदार सादुलशहर का दिनांक 27.07.2015 विधि सम्मत है। जब तक माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 19.01.1976 की पालना में भरा गया इन्तकाल प्रभाव में है तब तक अपीलार्थिया उक्त अपील पेश करने की अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थिया खारिज फरमाई जावें।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीया की ओर से उसके पुत्र भीमसैन ने तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष ऊपर वर्णित भूमि का इंतकाल दर्ज नहीं करने की आपत्ति इस आधार पर पेश की कि ऊपर वर्णित भूमि अपीलार्थिया के पिता स्व. श्री रावताराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम के नाम चक 17 एसडीएस तहसील सादुलशहर के खाता संख्या नया 8 व पुराना 70 में 62 बीघा कृषि भूमि सन् 1953 में खरीद की गई थी। सन् 1962 में अपीलार्थिया के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त कृषि भूमि का इन्तकाल 16.12.1962 को अपीलार्थिया की माता सुगना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसकी अपील अपीलार्थिया व उसकी माता द्वारा आएए द्वितीय जयपुर कैम्प बीकानेर में की गई जो अपीलार्थिया की माता के पक्ष में अपील दिनांक 22.07.1975 को स्वीकार की जाकर अपीलार्थिया को रावताराम की सही वारिश माना गया। उक्त अपील के विरूद्ध सुगनादेवी द्वारा रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 136/74 पर दर्ज की गई। उक्त द्वितीय अपील के दौरान सुगना देवी ने एक प्रार्थना पत्र मय राजीनामा दिनांक 06.01.1976 को पेश किया गया जिसमें कथन किया गया कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 12.11.1975 को राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामे के अनुसार मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1,2,3,6,7,8,9,10 कुल 8.00 बीघा कृषि भूमि की हकदार सुगनी बेवा मोमनराम होगी तथा इसके अलावा शेष भूमि जो 17 एसडीएस तहसील सादुलशहर में जानी देवी के नाम है उसकी मालिक जानी देवी रहेगी। राजीनामे के आधार पर दिनांक 19.01.1976 को द्वितीय अपील का फैंसला कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 19.01.1976 की पालना में सुगनीदेवी ने उपरोक्त मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 3 व 6 ता 10 कुल 8.00 बीघा भूमि का इंतकाल अपने नाम दिनांक 23.10.1977 को दर्ज करवाया जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश दिनांक 19.01.1976 का हवाला दिया गया परन्तु राजस्व मण्डल द्वारा जो आदेश राजीनामें के आधार पर पारित किया गया था में मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 ता 3 व 6 ता 10 को सुगना देवी का हकदार बताया गया था जो सुगनादेवी ने छुपाते हये मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 3 व 6 ता 10 का इंद्राज अपने नाम करवा लिया जबकि राजीनामा मुरब्बा नम्बर 39 के सम्बन्ध में हुआ था। सुगनादेवी की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 व रामलाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता के द्वारा दिनांक 13.02.2014 को सुगनादेवी के नाम दर्ज कृषि भूमि जो मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 3 व 6 ता 10 को अपने नाम इंतकाल दर्ज करवा लिया। उक्त इन्तकाल भी पूर्व के अनुसार गलत जारी करवाया गया था। मुरब्बा नम्बर 31 के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई राजीनामा राजस्व मण्डल अजमेर में नहीं हुआ। रेस्पोडेन्ट द्वारा छल कपट कर मुरब्बा नम्बर 39 की बजाये मुरब्बा नम्बर 31 की 1 ता 3 तथा 6 ता 10 कुल 8 बीघा भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजेन्द्र कुमार के नाम इंतकाल दर्ज करवाया गया। उक्त इन्तकाल साजीशीपूर्वक तहसीलदार को गुमराह कर जारी करवाया गया । तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित किया गया आदेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दिनांक 27.07.2015 बिना दस्तावेजों को जांच किये पारित किया गया इसलिए तहसीलदार सादुलशहर द्वारा दस्तावेजों के विरूद्व इंतकाल दर्ज करने का आदेश न केवल दोषपूर्ण है बल्कि विधि विरूद्व भी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 27.07.2015 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थिया व उसकी माता का नाम पुनः कृषि भूमि दर्ज की जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 27.07.2015 की पालना में भरे गये इन्तकाल संख्या 564 के विरूद्व अपील पेश की है जिसमें अपीलार्थिया पक्षकार ही नहीं है। बिना प्रभावी पक्षकार के अपीलार्थिया प्रथमदृष्टया अपील पेश करने की अधिकारी नहीं है। अपीलार्थिया द्वारा तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 27.07.2015 के विरूद्व पेश की है जबकि मूल इन्तकाल आदेश 16.12.1962 व 23.10.1972 एवंम राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 19.01.1976 मय राजीनामा जिसके आधार पर तहसील सादुलशहर द्वारा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया उसे अपीलार्थी द्वारा कोई चुनौती नहीं दी है। अपीलार्थिया द्वारा अपील में मूल इन्तकाल आदेश 16.12.1962 व 23.10.1972 एवंम राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 19.01.1976 मय राजीनामा को चुनौती न देकर तहसीलदार सादुलशहर के आदेश 27.07.2015 को चुनौती दी गयी है वह प्रथमदृष्टया विधि विरूद्व है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थिया निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सादुलशहर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर